समस्त पत्र–व्यवहार "कुलसचिव" को ही संबोधित किया जाये
किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं । पूर्व सन्दर्भ यदि हो
तो, देना आवश्यक हैं अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2529540,2527532
तार : यूनिव्हर्सिटी
फेक्स : 0731–2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर–452001

क्रमांक– प्रशा./तीन (07)/2018/459 दिनांक :– 31 JUL 2018

प्रति,
कार्य परिषद् के सम्माननीय सदस्यगण
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर

विषय : कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 19.07.2018 के कार्य विवरण ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 19–07–2018 के कार्य विवरण की एक प्रति आपकी ओर संलग्न प्रेषित है । आपसे विनम्र निवेदन है कि कार्य विवरण पर यदि कोई टीका हो तो सात दिन में सूचित करने का कष्ट करें।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

संलग्न : यथोपरि ।

aruna/mi/covering lette-15

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

कार्य–परिषद् की बैठक गुरूवार दिनांक 19.7.2018 को पूर्वान्ह 11:30 बजे कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष, नालंदा परिसर, आर.एन.टी. मार्ग, इन्दौर में आयोजित की गई।

बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :

1.	डॉ. एन.के. धाकड़, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो. मोहन लाल छीपा	सदस्य
3.	श्रीमती गीता मरकाम	सदस्य
4.	श्रीमती रागिनी मक्खर	सदस्य
5.	श्री आलोक डावर	सदस्य
6.	डॉ. प्रकाश सी. बरतूनिया	सदस्य
7.	डॉ. रवि वर्मा	सदस्य
8.	डॉ. के.एन. चतुर्वेदी (प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग)	सदस्य
9.	श्री देवधर दरवाई (प्रतिनिधि, वित्त विभाग, म.प्र. शासन)	सदस्य
10.	डॉ. विजय बाबू गुप्ता	सदस्य
11.	डॉ. पुरूषोत्तम गौतम	सदस्य
12.	डॉ. के. हजेला	सदस्य
13.	डॉ. ए.व्ही. बजाज	सदस्य
14.	डॉ. अशोक शर्मा	सदस्य
15.	डॉ. एच.एस. अनिजवाल	सदस्य
16	डॉ. कुसुमलता निगवाल	सदस्य
17.	डॉ. सुमित्रा वास्केल	सदस्य
18.	श्री अजय वर्मा, प्रभारी कुलसचिव	सचिव

बैठक में निम्नांकित सदस्य अनुपस्थित थे :

1.	डॉ. आर.के. माथुर	सदस्य

बैठक का प्रारम्भ विश्वविद्यालय के कुलगीत से किया गया।

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपतिजी द्वारा नव–नियुक्त सदस्यों डॉ. प्रकाश सी. बरतूनिया तथा डॉ. रवि वर्मा का पुष्प–गुच्छ से स्वागत किया गया। माननीय कुलपतिजी द्वारा समस्त माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया।

तदुपरांत माननीय अध्यक्ष की अनुमति से कुलसचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

कार्य–वृत्त

विषय क्र.:1: **कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 25.6.2018 के कार्य–विवरण की सम्पुष्टि विषयक।**

कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 25.6.2018 के कार्य–विवरण का अवलोकन किया गया एवं निर्णय लिया कि कार्य–परिषद् की बैठक दि.25.6.2018 के विषय क्र.1 से 13 तक के कार्य–विवरण की सम्पुष्टि की जाए।

यह भी निर्णय लिया कि विषय क्र.14 में नियमित पदों पर कार्यरत शिक्षकों के कॅरियर एडवांसमेंट योजना के अंतर्गत चयन समिति द्वारा की गई पदोन्नति की अनुशंसाओं की सम्पुष्टि की जाए एवं शेष स्व–वित्त पदों के संबंध में लिए गए निर्णय की सम्पुष्टि पर आगामी बैठक में विचार किया जाए।

(कार्यवाही: प्रशासन विभाग एवं स्थापना विभाग)

विषय क्र.:2: **कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 25.6.2018 में लिए गए निर्णयों पर अनुगामी कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन बाबत्।**

परिषद् द्वारा कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 25.6.2018 में लिए गए निर्णयों पर अनुगामी कार्यवाही निम्नांकित सुझावों के साथ ग्राह्य की गई :

1. कार्य–परिषद् सदस्य श्री आलोक डावर द्वार सुझाव दिया गया कि समस्त महाविद्यालयों को पत्र प्रेषित किया जाए कि प्राचार्य के पद पर साक्षात्कार के लिए कम–से–कम तीन उम्मीदवार उपस्थित होने पर ही प्राचार्य की नियुक्ति का अनुमोदन किया जाएगा।

2. कार्य–परिषद् सदस्य डॉ. मोहनलाल छीपा द्वारा सुझाव दिया गया कि अधिसूचना जारी की जाए कि समस्त शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी अपने विभाग की सफाई का ध्यान रखें एवं सप्ताह में कम–से–कम एक दिन अपने–अपने विभाग की सफाई स्वयं करें।

3. कार्य–परिषद् सदस्य डॉ. मोहनलाल छीपा द्वारा सुझाव दिया गया कि नियमित पदों पर कॅरियर एडवांसमेंट योजना के अंतर्गत पदोन्नति का लाभ दिए जाने हेतु अधिसूचना जारी की जाए एवं विभागवार तथा विषयवार सूची तैयार की जाए।

परिषद् द्वारा उक्त सुझाव मान्य किए गए।

(कार्यवाही: प्रशासन विभाग एवं स्थापना विभाग)

विषय क्र.:3: अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में स्टॉफ के चयन हेतु समिति द्वारा तैयार किये गये रेग्युलेशन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय लिया कि अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में स्टॉफ के चयन हेतु समिति द्वारा तैयार किये गए रेग्युलेशन का अनुमोदन किया जाए।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:4: राज्य शासन के कर्मचारियों के समान विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 2009 (छठा वेतनमान) में दिनांक 01/01/2018 से 3 प्रतिशत एवं सातवें वेतनमान में 02 प्रतिशत की दर से वृद्धित मंहगाई भत्ते के भुगतान की म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अन्तर्गत दी गई स्वीकृति की सूचना एवं अनुमोदन बाबत्।

निर्णय लिया कि राज्य शासन के कर्मचारियों के समान विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 2009 (छठा वेतनमान) में दिनांक 01/01/2018 से 3 प्रतिशत एवं सातवें वेतनमान में 02 प्रतिशत की दर से वृद्धित मंहगाई भत्ते के भुगतान की म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अन्तर्गत माननीय कुलपतिजी द्वारा दी गई स्वीकृति की सूचना ग्रहण की जाए एवं अनुमोदन किया जाए।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:5: श्रीमती शिवांगी बाण्डे, रीडर, आई.ई.टी (स्व–वित्त) के दिनांक 01/07/2018 से दिनांक 31/12/2018 तक 6 माह के अध्ययन अवकाश की स्वीकृति बाबत्।

निर्णय लिया कि श्रीमती शिवांगी बाण्डे, रीडर, आई.ई.टी. को दिनांक 1.7.2018 से दिनांक 31.12.2018 तक 6 माह के अध्ययन अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:6: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय को ई–मैनेजमेण्ट योजना के अंतर्गत स्वीकृत अनुदान रू. 3.00 करोड़ में से अव्ययित राशि तथा अर्जित ब्याज आयोग को लौटाने बाबत्।

निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय को ई–मैनेजमेण्ट योजना के अंतर्गत स्वीकृत अनुदान रू.3.00 करोड़ में से अव्ययीत राशि तथा अर्जित ब्याज आयोग को लौटाने की सूचना ग्रहण की गई।

कार्य–परिषद् सदस्य डॉ. मोहनलाल छीपा द्वारा सुझाव दिया गया कि अधिसूचना जारी की जाए कि विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं के जिन शिक्षकों को विभिन्न एजेन्सियों द्वारा प्रोजेक्ट हेतु राशि प्राप्त हुई है, उस राशि को समय–सीमा में व्यय करें। विश्वविद्यालय में वर्तमान में चल रहे रिसर्च प्रोजेक्ट की जानकारी (संक्षिप्त विवरण) आगामी कार्य–परिषद् में प्रस्तुत की जाए।

(कार्यवाहीः विकास विभाग)

प्रोजेक्ट हेतु व्ययित राशि के अंकेक्षण के सरलीकरण के लिए निम्न समिति बनाई जाए :

1. डॉ. मोहनलाल छीपा, सदस्य, कार्य–परिषद् — अध्यक्ष
2. श्री देवधर दरवाई, संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा — सदस्य
3. डॉ. विजय बाबू गुप्ता, विभागाध्यक्ष, डाटा प्रोसेसिंग एवं फॉरकास्टिंग अध्ययनशाला — सदस्य
4. वित्त अधिकारी — सदस्य

(कार्यवाहीः विकास विभाग)

विषय क.:7: <u>दैनिक वेतन भोगी महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश (सवैतनिक) स्वीकृति विषयक।</u>

निर्णय लिया कि सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के आदेश दिनांक 2.8.1995 के परिप्रेक्ष्य में दैनिक वेतन भोगी महिला कर्मचारियों के प्रसूति अवकाश (सवैतनिक) की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क.:8: <u>दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर द्वारा Short-Term Courses के संचालन की सूचना विषयक।</u>

निर्णय लिया गया कि दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र, द्वारा Short-Term Courses प्रारंभ करने की सूचना ग्रहण की जाए एवं बेसिक टेली लर्निंग के तीन माह के पाठ्यकम का शुल्क 5000/– है, उसे घटाकर रू. 3000/– किया जाए।

यह भी निर्णय लिया कि समस्त विभाग अपने विभाग से संबंधित विषय में **Skill Oriented Courses** (3 माह/6 माह) अनिवार्य रूप से प्रारम्भ करें एवं इसके प्रचार–प्रसार पर जोर दिया जाए।

कार्य–परिषद् सदस्य डॉ. रवि वर्मा द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में भी Short-Term Courses चलाने की सलाह दी गई, जिसे परिषद् द्वारा मान्य किया गया।

(कार्यवाहीः विभागाध्यक्ष, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र)

M AS

विषय क्र.:9: स्ववित्त योजनांतर्गत नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतनमान से न्यूनतम वेतन निर्धारण एवं म.प्र. पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 (सातवां वेतनमान) की स्वीकृति प्रदान करने बाबत् विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय लिया कि स्ववित्त योजनांतर्गत नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतनमान से न्यूनतम वेतन निर्धारण एवं म.प्र. पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 (सातवां वेतनमान) की स्वीकृति प्रदान की जाए।

यह भी निर्णय लिया कि स्व–वित्त योजनांतर्गत अपात्र पाए गए कर्मचारियों के अभिलेखों की सूक्ष्म जांच की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर दिनांक 15 अगस्त, 2018 तक प्रकिया सम्पन्न की जाए।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:10: विकलांग एवं छात्र दुर्घटना सहायता समिति हेतु एक सदस्य मनोनीत किए जाने बाबत्।

निर्णय लिया कि विकलांग एवं छात्र दुर्घटना सहायता समिति हेतु माननीय कार्य परिषद् सदस्य श्री रवि वर्मा को सदस्य मनोनीत किया जाए।

(कार्यवाहीः छात्र कल्याण विभाग)

विषय क्र.:11: सत्र 1918–19 एवं 2019–20 दो वर्ष हेतु विश्वविद्यालय चीफ प्रॉक्टर की नियुक्ति किए जाने बाबत्।

निर्णय लिया कि सत्र 1918–19 एवं 2019–20 दो वर्ष हेतु डॉ. अशोक शर्मा, आचार्य, रसायनशांस्त्र अध्ययनशाला को विश्वविद्यालय चीफ प्रॉक्टर नियुक्त किया जाए।

(कार्यवाहीः छात्र कल्याण विभाग)

विषय क्र.:12: विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 27.6.2018 एवं दिनांक 3.7.2018 के कार्य–विवरणों पर विचार।

विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 27.6.2018 एवं दिनांक 3.7.2018 के कार्य–विवरणों के अवलोकन उपरांत निर्णय लिया कि विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 27.6.2018 एवं दिनांक 3.7.2018 की अनुशंसाएं मान्य की जाएं।

(कार्यवाहीः शैक्षणिक विभाग)

विषय क.:13: <u>दिनांक 21.6.2018 को सम्पन्न वित्त समिति की बैठक के विषय कमांक–8 भवन समिति के कार्यवाही विवरण एवं अनुशंसा पर विचार।</u>

दिनांक 21.6.2018 को सम्पन्न वित्त समिति की बैठक के विषय कमांक–8 भवन समिति के कार्य–विवरण के अवलोकन उपरांत निर्णय लिया कि दिनांक 21.6.2018 को सम्पन्न वित्त समिति की बैठक के विषय कमांक–8 भवन समिति की अनुशंसाएं मान्य की जाएं एवं विषय क.1, विषय क.6,7,8,9 (2) एवं विषय क.12 (1, 2, 3 एवं 6) के संबंध में निर्णय लिया कि उपरोक्त अंकित निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट (पी.आई.यू.) से करवाए जाएं।

यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में रू.25 लाख की लागत से ज्यादा के निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट (पी.आई.यू.) से कराए जाए तथा इससे कम लागत के निर्माण कार्य विश्वविद्यालय यांत्रिक शाखा से कराए जाएं।

कार्य–परिषद् सदस्य डॉ. मोहनलाल छीपा ने विश्वविद्यालय में वर्षा का पानी संग्रहण करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग कराए जाने का सुझाव दिया, जिसे परिषद् द्वारा मान्य किया गया।

(कार्यवाहीः यांत्रिकी विभाग)

विषय क.:14: <u>अधिवक्ता एम.मुंशी एण्ड एसोशिएट की शुल्क दरों के निर्धारण विषयक।</u>

परिषद् को अवगत कराया गया कि सहायक निदेशक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सूचना महानिदेशालय द्वारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों से लिए जाने वाले संबंद्वता शुल्क पर सर्विस टेक्स के रूप में राशि वर्ष 2012 से 2017 हेतु रू.4,71,71,216/– मात्र की वसूली के संबंध में विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय को मध्यप्रदेश शाासन से सर्विस टेक्स दिए जाने हेतु कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। अतः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क महानिदेशालय का नोटिस नियमानुसार नहीं होने से इसका प्रतिवाद सक्षम न्यायालय फोरम में प्रस्तुत करने हेतु नोटिस का जवाब दावा अपील आवश्यकतानुसार समय–सीमा में ट्रिब्यूनल तथा होईकोर्ट में प्रस्तुत करने हेतु अधिवक्ता एम.मुंशी एसोशिएट की सेवाएं लेना प्रस्तावित है, इनके द्वारा निम्नानुसार शुल्क प्रस्तुत किया गया है :

Preparation of case, filing of Appeal/Reply	**- Rs. 75000/- each**
Appearance fees	**- Rs. 25,000/- per hearing**
Associate Counsel fee	**- Rs. 5000/- per hearing**
Out of pocket Expenses above	**– Rs.10% of the bill amount in all cases**

निर्णय लिया कि अधिवक्ता एम.मुंशी एण्ड एसोशिएट द्वारा प्रस्तुत दरों की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(कार्यवाहीः विधि प्रकोष्ठ)

विषय क्र.:15: <u>देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तक्षशिला/ नालंदा परिसरों के सम्पत्ति कर देयक भुगतान की सूचना ग्रहण करने बाबत्।</u>

निर्णय लिया कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तक्षशिला/ नालंदा परिसरों के सम्पत्ति कर देयक रू.7,32,071/–भुगतान की सूचना ग्रहण की जाए।

(कार्यवाहीः यांत्रिकी विभाग)

विषय क्र.:16: <u>श्री आलोक डावर, सदस्य कार्य–परिषद, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर से दिनांक 8/5/2018 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली को ब्याज की राशि रुपये 26,93,529 विषयक प्राप्त पत्र अवलोकनार्थ प्रस्तुत।</u>

उक्त पत्र के अवलोकन उपरांत निर्णय लिया कि भविष्य में ऐसे प्रकरण कार्य–परिषद् में सूचनार्थ प्रस्तुत किए जाएं।

(कार्यवाहीः विकास विभाग)

विषय क्र.:17: <u>श्री आलोक डावर, सदस्य कार्य–परिषद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर से दिनांक 11/6/2018 विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में प्राप्त पत्र अवलोकनार्थ प्रस्तुत।</u>

राज्य शासन से लोकपाल की नियुक्ति हेतु प्राप्त पेनल में से एक सदस्य की नियुक्ति अन्यत्र होने से पेनल में दो नाम शेष हैं। अतः निर्णय लिया कि तीन नाम का पेनल प्रस्तुत करने हेतु राज्य शासन को पत्र प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:18: <u>श्री आलोक डावर, सदस्य कार्य–परिषद से प्राप्त पत्र दिनांक 22.6.2018 बी.कॉम छठे सेमेस्टर, बी,ए एवं बीएस.सी. के परीक्षा परिणाम विषयक।</u>

माननीय कुलपतिजी द्वारा अवगत कराया गया कि बी.कॉम छठे सेमेस्टर, बी,ए एवं बीएस.सी. के परीक्षा परिणाम घोषित किए जा चुके हैं।

(कार्यवाहीः परीक्षा विभाग)

विषय क्र.:19: <u>डॉ. शिल्पा बागदरे, व्याख्याता, आई.आई.पी.एस. के संतान पालन अवकाश की स्वीकृति विषयक।</u>

निर्णय लिया कि डॉ. शिल्पा बागदरे, व्याख्याता को दिनांक 23.7.2018 से दिनांक 19.10.2019 तक 451 (1 वर्ष 3 माह) के संतान पालन अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:20: **Universal Peace & Social Development Society से प्राप्त पत्र विषयांकित – महात्मा गांधीजी के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों हेतु कम्प्यूटर्स की आवश्यकता विषयक विचारार्थ प्रस्तुत।**

निर्णय लिया कि **Universal Peace & Social Development Society** को महात्मा गांधीजी के 150वी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा तीन कम्प्यूटर्स प्रदान किए जाएं।

डॉ. मोहनलाल छीपा, सदस्य– कार्य परिषद् द्वारा सुझाव दिया गया कि जिन विभागों में मशीनें व उपकरण खराब पड़े हैं उनकी सूची बनाई जाए एवं रिपेयर करवाकर उपयोग में लिया जाए।

परिषद् द्वारा उक्त सुझाव मान्य किया गया।

(कार्यवाहीः भंडार विभाग)

विषय क्र.21: अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान् की छात्रा कु. उर्वशी सैनी की शुल्क मुक्ति पर विचार।

निर्णय लिया कि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान् की छात्रा कु. उर्वशी सैनी को मानवीय आधार पर राशि रू.27,422/–शुल्क मुक्ति एवं स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने की स्वीकृति प्रदान की जाए।

इस संबंध में डॉ. मोहनलाल छीपा, सदस्य– कार्य–परिषद् द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय में एक स्वैच्छिक विद्यार्थी सहायता कोष बनाया जाए, जिसमें शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी एक निर्धारित राशि स्वेच्छा से प्रतिमाह जमा करें। इस कोष की सहायता से आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षण/परीक्षा शुल्क भरने में सुविधा होगी।

परिषद् द्वारा उक्त सुझाव मान्य किया गया।

(कार्यवाहीः अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान)

विषय क्र.22: संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 5.6.2018 द्वारा जारी नीति निर्देश अंगीकृत किए जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय लिया कि संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 5.6.2018 द्वारा जारी नीति निर्देश को अंगीकृत किया जाए एवं इस पर उचित कार्यवाही एवं अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिए एक समिति बनाई जाए।

यह भी सुझाव दिया गया कि समस्त विभागों में नियुक्त संविदा कर्मियों की सूची मंगवाई जाए।

परिषद् द्वारा उक्त सुझाव मान्य किया गया।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.23: **दिनांक 12.7.2018 को सम्पन्न वित्त समिति की बैठक की अनुशंसाओं पर विचार।**

वित्त समिति की बैठक की दिनांक 12.7.2018 के कार्य–विवरणों के अवलोकन उपरांत निर्णय लिया कि वित्त समिति की बैठक की दिनांक 12.7.2018 की अनुशंसाएं मान्य की जाएं।

(कार्यवाहीः वित्त विभाग)

विषय क्र.24: **आय.पी.एस. एकेडमी (साइंस एंड कॉमर्स), इन्दौर में प्राचार्य के पद पर नियुक्ति का अनुमोदन।**

निर्णय लिया कि आय.पी.एस. एकेडमी (साइंस एंड कॉमर्स), इन्दौर में महाविद्यालय की शासी निकाय की बैठक 17.7.2018 में अनुशंसित डॉ.प्रेमलता गुप्ता की प्राचार्य के पद पर नियुक्ति मान्य की गई।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.25: **आय.पी.एस. एकेडमी (बी.एड)., इन्दौर में प्राचार्य के पद पर नियुक्ति का अनुमोदन।**

निर्णय लिया कि आय.पी.एस. एकेडमी (बी.एड)., इन्दौर में महाविद्यालय की शासी निकाय की बैठक 17.7.2018 में अनुशंसित डॉ.सुनीता शर्मा की प्राचार्य के पद पर नियुक्ति मान्य की गई।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.26: **विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16.7.2018 के कार्य–विवरणों पर विचार।**

विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16.7.2018 के कार्य–विवरणों के अवलोकन उपरांत निर्णय लिया कि विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16.7.2018 की अनुशंसाएं मान्य की जाएं।

(कार्यवाहीः शैक्षणिक विभाग)

विषय क्र.27: **अध्यादेश क्र.4(सी) में विहित प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय के स्व–वित्त पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण पर विचार।**

निर्णय लिया कि अध्यादेश क्र.4(सी) में विहित प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय के स्व–वित्त पाठ्यक्रमों हेतु स्वीकृत शैक्षणिक पदों पर नियमानुसार नियुक्ति किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाए।

यह भी निर्णय लिया गया कि प्रथम बार नियुक्ति पर वेतन रू.35000/– प्रतिमाह एवं 5 वर्ष या उससे अधिक अनुभव के लिए विभागाध्यक्ष/ निदेशक, विश्वविद्यालय अध्ययनशाला द्वारा प्रदान किए गए अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत वेतन में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर वेतन प्रदाय किया जाए।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.28: <u>समाज विज्ञान अध्ययनशाला में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों पर संविदा नियुक्ति की स्वीकृति बाबत्।</u>

निर्णय लिया कि समाज विज्ञान अध्ययनशाला में संचालित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों पर संविदा नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई एवं ये पद अपरिवर्तनीय रहेगें:

क्र.	विषय	पद संख्या
1	बीएसडब्ल्यू/एमएसडब्ल्यू	2 (1 एसोशियट प्रोफेसर + 1 असिसटेंट प्रोफेसर)
2	एम.ए. समाजशास्त्र	1
3.	एमबीए ग्रामीण विकास	1
4.	एमबीए लोक प्रशासन/एमए राजनीति विज्ञान	1
5.	एमए क्लिनिकल मनोविज्ञान	1

(कार्यवाही: स्थापना विभाग)

विषय क्र.29: <u>विश्वविद्यालय अधिनियम–1973, अध्यादेश, परिनियम एवं विनियम प्रदाय करने विषयक।</u>

निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अधिनियम–1973, अध्यादेश, परिनियम एवं विनियम की एक–एक प्रति माननीय कार्य–परिषद् सदस्यों को अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के भीतर प्रदाय करवाई जाए।

(कार्यवाही: प्रशासन विभाग)

अंत में अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित कर एवं राष्ट्र गान के साथ बैठक समाप्त की गई।

हस्ता/–
(अजय वर्मा)
प्रभारी कुलसचिव/ सचिव

हस्ता/–
(डॉ. एन.के. धाकड़)
कुलपति/ अध्यक्ष